"प्रशासन गांवो के संग अभियान – 2021"

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सरकार बनाम मुमताज आदि

किस्म मुकदमा– धारा अन्तर्गत 131 व 132 एलआरए नं. मुकदमा......11....... /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/02/022		

तहसीलदार लूनकरनसर से ग्राम/चक महाजन के मुरबा /खसरा नम्बर 781, 782, 783, 784, 785, 1575, 1579, 1587, 1588, 1566, 1565, 1564, 1563, 1594, 1622, 1625 मे से होकर सार्वजनिक रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्राप्त रास्ता प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि मौके पर सार्वजनिक आवागमन के रूप में रास्ता चालू हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार लूनकरनसर के द्वारा अभिशंषित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैं–

क. सं	मु. नम्बर /ख.न.	रकबा बीघा में	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा हैं।	नाम खातेदार
1.	781	8.09	बा.2	0.216	मुमताज पुत्र मौलाबक्स वगैरह
2.	782	3.16	बा.2	0.054	निजाम पुत्र आशीक खां
3.	783	7.33	बा.2	0.1755	आसक खां पुत्र गामे खां
4.	784	10.12	बा.2	0.081	युसुफ खां पुत्र मोहम्मदयासीन
5.	785	13.91	बा.2	0.054	विमला देवी पत्नी सांवरलाल वगैरा
6.	1575	8.85	बा.2	0.18	बाबूलाल पुत्र बनाराम वगैरा
7.	1579	6.32	बा.2	0.027	नन्दकिशोर पुत्र मंगतूराम
8.	1587	6.90	बा.2	0.117	भागीरथ पुत्र प्रेमचन्द
9.	1588	19.53	बा.2	0.036	जमुना पुत्री बाबूलाल वगैरा
10.	1566	7.84	बा.2	0.072	गुलाम पुत्र अहमद
11.	1565	17.51	बा.2	0.27	भागु खां उर्फ मांगू खां पुत्र अहमद खां वगैरा
12.	1564	5.94	बा.2	0.072	इकरम पुत्र हसनखां
13.	1563	5.82	बा.2	0.1215	जैनब बानो उर्फ खातू पत्नी हसन खां
14.	1594	5.85	बा.2	0.09	नुरनीशा पुत्री रहीम
15.	1622	9.49	बा.2	0.1485	असरफ पुत्र रहीम खां
16.	1625	8.09	बा.2	0.0945	नितिश कौशिक पुत्र अनिल

उक्त कृषिभूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रा[स्ते] को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुऐ रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेंगे। तद्नुसार तहसीलदार लूनकरनसर को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:45:35 IST
Reason: SelfAttested